

19.11.12
256

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक सी 3-11/12/1/3
प्रति

भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, खालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषय:-राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा का निर्धारण।

- संदर्भ:-1. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी/3-5/2001/3/1, दिनांक 17.08.2004
2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी/3-5/2001/3/1, दिनांक 05.10.2004
3. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ सी 3-12/2010/3/1, दिनांक 04.06.2010
4. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ सी 3-10/2012/3/1, दिनांक 30.08.2012

—0—

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रवर्गों, शासकीय संस्थानों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएँ तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं।

2/ राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर स्थायी रूप से 40 वर्ष निर्धारित की जाए। इस वृद्धि के फलस्वरूप अनुरूचित जाति, अनुरूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय संस्थानों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएँ तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी।

3/ उक्त अधिकतम आयु-सीमा में कोई गई वृद्धि गृह (पुलिस), वन, आबकारी एवं जल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। इन विभागों के कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा उनके भरती नियमों के प्रावधान के अनुसार ही लागू होगी। अर्थात् इन पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

 19/11/2012/Doc

4. उपर्युक्त परिपत्र में शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी -

| | |
|---|---------|
| 1. पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 40 वर्ष |
| 2. पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 40 वर्ष |
| 3. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |
| 4. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 45 वर्ष |
| 5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 45 वर्ष |
| 6. महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा) | 45 वर्ष |
| 7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 वर्ष |

5/ सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6/ उक्त अधिकतम आयु-सीमा निर्धारण के फलस्वरूप संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.08.2004 एवं 05.10.2004 एतद द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

7/ उक्त अधिकतम आयु-सीमा परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.क. गजभिये)


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



दिनांक 03.11.12/1/3,
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

1. सचिव, महामन्त्रिमण्डल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
 3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
 8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
 9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
 10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 11. मुख्य निर्वाचन प्रदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
 15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
 17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

